संख्या– 59/2020/1235/छप्पन-2020-31/2016(W.P.)

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2020

विषय: जनपद गौतमबुद्धनगर में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु अर्जित किये जा रहे 6 ग्रामों की भूमि के पूँजीकृत मूल्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-160/ए.एफ.-2020-116/2016 दिनांक 16 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु अर्जित किये जा रहे 6 ग्रामों की भूमि के पूँजीकृत मूल्य की धनराशि रू0 68,61,773/- (रूपया अड़सठ लाख इकसठ हजार सात सौ तिहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु अर्जित किये जा रहे 6 ग्रामों की भूमि के पूँजीकृत मूल्य की धनराशि रू0 68,61,773/- (रूपया अड़सठ लाख इकसठ हजार सात सौ तिहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 68,61,773/- (रूपया अड़सठ लाख इकसठ हजार सात सौ तिहत्तर मात्र) तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथावश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहत्त निर्माण कार्य" से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-891/दस-2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 59/2020/1235(1)/छप्पन-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमगुद्धनगर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
6- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.
8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in